

स्थल विशिष्ट होने न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित स्थल स्थलीय विशिष्ट नहीं है।

ह0/-

प्रभागीय वनाधिकारी

ह0/

जिलाधिकारी,